- 1.

173

## समक्ष मानूनीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश : ......

प्रकरण क्र. ........./ निग - 2341-I-16 /..........................

विषय :- आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत्।

पक्षकार - श्री लखनलाल गौंड़ पिता श्री बाबूलाल गौंड़
निवासी 407 पड़रिया, तहसील व जिला जबलपुर

विरूद्ध -

अनावेदक - 1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जबलपुर

2. (1)श्री आकाश शर्मा पिता श्री रविन्द्र शर्मा
निवासी के-2 हाथीताल गुप्तेश्वर वार्ड जबलपुर
(2) श्री शिवम् उपाध्याय पिता श्री पवन उपाध्याय
निवासी म.नं. 432 ग्राम पड़वार थाना बरेला तहसील
व जिला जबलपुर

श्री ............ द्वारा आज दि. 19.7.16 को प्रस्तुत

## पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत्

1. मानूनीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. **86**/अ-21/2015-16 में पारित **अंतरिम आदेश** दि. 27/06/2016 (Annexure-1) से व्यथित होकर म.प्र. **भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत्** यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि आवेदक पुनरीक्षणकर्ता आदिवासी श्री लखनलाल गौंड़ पिता श्री बाबूलाल गौंड़ निवासी 407 पड़रिया, तहसील व जिला जबलपुर द्वारा ग्राम **पिपरियाखुर्द** प.ह.नं. 67 रा.नि.मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 09, 10, 117 रकवा क्रमशः 0.070, 0.340, 0.190हे0 कुल रकवा 0.600हे. भूमि अनावेदक गैर आदिवासी (1)श्री आकाश शर्मा पिता श्री रविन्द्र शर्मा निवासी के-2 हाथीताल गुप्तेश्वर वार्ड तहसील व जिला जबलपुर (2) श्री शिवम् उपाध्याय पिता श्री पवन उपाध्याय निवासी म.नं. 432 ग्राम पड़वार थाना बरेला तहसील व जिला जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 22/04/2015 (Annexure-2) **म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के तहत्** कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. प्रकरण में नायब तहसीलदार खम्हरिया द्वारा प्रकरण क्रमांक **23**/अ-21/15-16 में प्रतिवेदन दि. 08/06/2016 (Annexure-3) में प्रतिवेदित किया गया कि भूमि विक्रय अनुमति उपरांत 5.04 हेक्टेयर भूमि शेष बचेगी। आवेदित भूमि पट्टे की नहीं है, अपितु स्वयं द्वारा क्रय की है। आवेदित भूमि विक्रय के पश्चात् आवेदक को उचित प्रतिफल प्राप्त हो रहा है तथा आवेदक के आर्थिक हितों एवं अन्य में विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदित भूमि असिंचित है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक द्वारा क्रय की गई थी, आवेदक के साथ किसी प्रकार का छल

NOTARY MOHAMMED ASHFAQUE JABALPUR DIST M.P Regd. No. 7829 GOVT. OF INDIA

12 JUL 2016

XXXIX(a)BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 2341-एक/16 जिला - जबलपुर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 20.7.16 | यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 86/अ-21/15-16 में पारित आदेश दिनांक 26-6-16 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।<br>2- आवेदक एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया । आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम पिपरियाखुर्द प.ह.नं. 67 रा.नि.मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 09, 10, 117 रकबा क्रमशः 0.070, 0.340, 0.190 कुल रकबा 0.600 हैक्टर अनावेदक/गैर आदिम जनजाति सदस्य श्री आकाश शर्मा एवं श्री शिवम उपाध्याय को विक्रय करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनु. अधिकारी ने उक्त आवेदन नायब तहसीलदार को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से नायब तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को भेजा गया , | |

नि.. 234.5/16 (नमतहा)

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | अनुविभागीय अधिकारी ने प्रतिवेदन में भूमि विक्रय की अनुमति दिया जाना उचित नहीं बताते हुए प्रकरण कलेक्टर को भेजा है । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा पुनः पुनर्विचार कर प्रतिवेदन देने हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा गया है । कलेक्टर के आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि नायब तहसीलदार ने सम्पूर्ण जांच कर प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को भेजा गया है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि विक्रय की जाने वाली भूमि आवेदक ने क्रय की है, भूमि की कीमत गाइड लाइन मुताबिक उचित है । भूमि वर्तमान में पड़त है । आवेदक के पास उक्त भूमि के अतिरिक्त ग्राम पड़रिया में 5.04 हैक्टर भूमि शेष बचेगी । आवेदक द्वारा भूमि विक्रय के बताए गए इस कारण को कि वह आवेदित भूमि विक्रय कर ग्राम पड़रिया की भूमि को उपजाऊ बनाना चाहता है, को बिना किसी आधार के अनुविभागीय अधिकारी ने संतोषजनक एवं पर्याप्त नहीं माना है । जिलाध्यक्ष ने प्रकरण के तथ्यों पर न्यायिक रूप से विचार नहीं किया है । प्रकरण में पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है । जिलाध्यक्ष ने अनुविभागीय अधिकारी को पुनर्विचार के जो निर्देश दिए हैं, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे प्रकरण को लंबित रखना चाहते हैं । मेरे द्वारा नातहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदनों का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि उन्होंने जो प्रतिवेदन प्रेषित किया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय नहीं है, आवेदक के पास क्रय करने के उपरांत आई है । आवेदित भूमि कम पड़त है आवेदक अपनी शेष भूमि के विकास हेतु भूमि विक्रय करना चाहता | |

XXXIX(a)BR(H)-11

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – 2341–एक/16 जिला – जबलपुर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|

है । भूमि विक्रय करने से आवेदक पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा तथा विक्रय के उपरांत आवेदक के पास 5.04 हैक्टर भूमि शेष बचेगी । अनु0 अधिकारी के प्रतिवेदन को कलेक्टर ने संतोष जनक एवं पर्याप्त नहीं माना है, किंतु वह किन आधारों पर संतोषजनक नहीं है, इसका कोई उल्लेख नहीं किया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए इस प्रकरण में पुनर्विचार की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी इसी स्तर पर स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर के समक्ष प्रचलित कार्यवाही समाप्त करते हुए आवेदक को उसके भूमि स्वामित्व की ग्राम पिपरियाखुर्द प.ह.नं. 67 रा.नि.मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 09, 10, 117 रकबा क्रमशः 0.070, 0.340, 0.190 कुल रकबा 0.600 हैक्टर को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है ।

1– यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष 2016–17 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।

2– क्रेतागण द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि ( पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके ) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।

3– भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा ।

पक्षकार सूचित हों ।

( एम0 बी0 सिंह )
सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर